भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 601

जिसका उत्तर 01 दिसम्बर, 2021 को दिया जाना है।

10 अग्रहायण, 1943 (शक)

इंटरनेट पर उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा

601. श्री भर्तृहरि महताब :

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इंटरनेट पर उपयोगकर्ताओं, विशेषकर महिलाओं और बच्चों की संरक्षा और सुरक्षा के संबंध में बढ़ती चिंता पर ध्यान दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने महिला उपयोगकर्ताओं की ऑनलाइन सुरक्षा और गरिमा को सुनिश्चित करने के लिए नए नियम/दिशानिर्देश तैयार किए हैं और इंटरनेट पर फर्जी सामग्री सहित वैसी सामग्री से निपटने के लिए एक ढांचा प्रदान किया है, जिसके परिणामस्वरूप जघन्य अपराध होते हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) बाल अश्लीलता, बलात्कार और सामूहिक बलात्कार की तस्वीरों, आपत्तिजनक वीडियो और साइटों और सामग्री होस्टिंग प्लेटफॉर्म और अन्य एप्पलिकेशनों को खत्म करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जाने वाले आवश्यक कदमों का ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री राजीव चंद्रशेखर)

(क) से (ग): सरकार संवैधानिक अधिकारों के ढांचा में रहते हुए मुक्त, सुरक्षित और भरोसेमंद तथा जवाबदेह इंटरनेट के लिए प्रतिबद्ध है। जबकि माध्यस्थ हमेशा सभी भारतीय नागरिकों के करेंगे। सरकार ने महिलाओं और बच्चों सहित लोगों की डिजिटल सुरक्षा के लिए कई कदम उठाए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ ये शामिल हैं:

(i) सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम, 2000 में महिलाओं और बच्चों से संबंधित साइबर अपराधों सहित प्रचलित साइबर अपराधों से निपटने के प्रावधान हैं। अधिनियम की धारा 66ड., 67, और 67क में शारीरिक गोपनीयता के उल्लंघन और इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील/यौन रूप से स्पष्ट सामग्री को प्रकाशित करने या प्रसारित करने के लिए दंड और जुर्माने का प्रावधान है। अधिनियम की धारा 67ख विशिष्ट रूप से बाल अश्लीलता को इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रकाशित करने, ब्राउज़ करने या प्रसारित करने के लिए कठोर सजा का प्रावधान करती है। इसके अलावा, भारतीय दंड संहिता की धारा 354ग और 354घ में साइबर बुलिंग और साइबर स्टाकिंग के लिए सजा का प्रावधान है।

(ii) आईटी अधिनियम के तहत अधिसूचित सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियमावली, 2021 विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के लिए नागरिक सुरक्षा से संबंधित है। इन नियमावली मे यह अपेक्षित है कि माध्यस्थ अपने कर्तव्यों का निर्वहन

करते समय अपेक्षित सावधानी बरतेंगे और अपने उपयोगकर्ताओं को किसी भी जानकारी को होस्ट, प्रदर्शित, अपलोड, संशोधित, प्रकाशित, प्रसारित, अद्यतन या साझा नहीं करने के लिए सूचित करेंगे जो किसी अन्य की गोपनीयता के लिए हानिकारक, मानहानिकारक, अश्लील और आक्रामक है या अन्यथा किसी भी तरह से गैरकानूनी है । माध्यस्थ भी नियमावली में यथानिर्धारित शिकायत निवारण तंत्र को अपनाएगा। माध्यस्थों से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वे अदालत के आदेश के माध्यम से या किसी उपयुक्त सरकार या इसकी अधिकृत एजेंसी द्वारा नोटिस के माध्यम से संज्ञान में लाए जाने पर भारत में किसी भी कानून का उल्लंघन करने वाली किसी भी जानकारी को हटा दें ।

(iii) इसके अलावा, इस नियमावली के नियम 3(2)(ख) में प्रावधान किया गया है कि किसी एक व्यक्ति द्वारा शिकायत किए जाने पर माध्यस्थ 24 घंटे के भीतर, ऐसी किसी भी सामग्री को हटा देगा जो प्रथम दृष्टया किसी व्यक्ति के निजी क्षेत्र को प्रदर्शित करती है, किसी व्यक्ति को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से नग्न या किसी व्यक्ति को किसी भी यौन क्रिया या आचरण में लिप्त दिखाती या दर्शाती है, या इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रतिरूपण की प्रकृति में है, जिसमें ऐसे व्यक्ति की कृत्रिम रूप से रूपांतरित छवियां शामिल हैं।

(iv) गृह मंत्रालय (एमएचए) महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध किए गए साइबर अपराधों पर विशेष ध्यान देने के साथ सभी प्रकार के साइबर अपराधों से संबंधित शिकायतों की रिपोर्ट करने में नागरिकों को सक्षम बनाने के लिए एक राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल, www.cybercrime.gov.in संचालित करता है।

(v) सूचना सुरक्षा शिक्षा और जागरूकता (आईएसईए) नामक एक कार्यक्रम के माध्यम से एमईआईटीवाई, इंटरनेट का उपयोग करते समय नैतिकता का पालन करने के महत्व पर प्रकाश डालते हुए उपयोगकर्ताओं के बीच जागरूकता पैदा कर रहा है और उन्हें अफवाहों/फर्जी समाचारों को साझा न करने की सलाह दे रहा है। सूचना सुरक्षा जागरूकता के लिए एक समर्पित वेबसाइट (https://www.infosecawareness.in) प्रासंगिक जागरूकता सामग्री उपलब्ध कराती है।

विशेष रूप से महिलाओं के लिए प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यशाला आयोजित करने के अलावा, आईएसईए ने 'महिलाओं के लिए सूचना सुरक्षा जागरूकता हैंडबुक', 'महिलाओं के लिए साइबर सुरक्षा टिप ' और 'कोविड 19 के दौरान घर पर महिलाओं के लिए ऑनलाइन सुरक्षा टिप' नामक एक विशेष पुस्तिका प्रकाशित की है। महिलाओं के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन/विकसित की गई जागरूकता सामग्री वेबसाइट https://www.infosecawareness.in/women पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध कराई गई है।

(vi) राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने साइबर अपराध से संबंधित कानूनों को सरल भाषा में बेहतर ढंग से समझने के लिए जांच अधिकारियों के लिए एक गाइड के रूप में "साइबर अपराध के शिकार बच्चे - कानूनी टूल किट" पर एक पुस्तिका प्रकाशित की है।

******